पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 204/2025

अनवान :

1. राजवीर पुत्र प्रहलाद जाति खाती निवासी भिरानी तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र मनीराम जाति खाती निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. जयबीर खाती पुत्र प्रहलाद जाति खाती निवासी भिरानी तहसील भादरा।
3. जसवन्त सिंह पुत्र प्रहलाद जाति खाती निवासी भिरानी तहसील भादरा।
4. मेना कुमारी पुत्री प्रहलाद पत्नी रोहिताश कुमार निवासी भिरानी हाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचंद वर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अक्षय कुमार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भिरानी के जमाबंदी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 723/178 के मु0नं0 34 के कि0नं0 21 ता 25, मु0नं0 35 के कि0नं0 23 ता 25, मु0नं0 63 के कि0न0 3 ता 5, मु0नं0 64 के कि0नं0 1 ता 8, 13 ता 17, मु0नं0 463 के कि0नं0 10, 11, 12/1, 13/2, 13/4, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, मु0नं0 464 के कि0नं0 6 ता 8, 13 ता 15 कुल किता 43 की 9.4860 है0 (9.4090 है0 बारानी, 0.0770 है0 गैर मु0 रास्ता) प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलाद के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 प्रहलाद अकेले की बजाय वादी राजवीर को 4/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलाद को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 जयबीर खाती को 4/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 जसवंत सिंह को 4/15 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 4 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 तथा 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे हस्ते व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.02 11:28:38 IST
Reason: SelfAttested

(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 204/2025

मवान :

1. राजवीर पुत्र प्रहलाद जाति खाती निवासी भिरानी तहसील भादरा। :– वादी

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र मनीराम जाति खाती निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. जयबीर खाती पुत्र प्रहलाद जाति खाती निवासी भिरानी तहसील भादरा।
3. जसवन्त सिंह पुत्र प्रहलाद जाति खाती निवासी भिरानी तहसील भादरा।
4. मेना कुमारी पुत्री प्रहलाद पत्नी रोहिताश कुमार निवासी भिरानी हाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा **: वादी**

वकील श्री अक्षय कुमार **: प्रतिवादी सं0 1 ता 4**

दिनांक : 08·10·25

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भिरानी के जमाबंदी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 723/178 के मु0नं0 34 के कि0नं0 21 ता 25, मु0नं0 35 के कि0नं0 23 ता 25, मु0नं0 63 के कि0न0 3 ता 5, मु0नं0 64 के कि0नं0 1 ता 8, 13 ता 17, मु0नं0 463 के कि0नं0 10, 11, 12/1, 13/2, 13/4, 18/1; 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, मु0नं0 464 के कि0नं0 6 ता 8, 13 ता 15 कुल किता 43 की 9.4860 है0 (9.4090 है0 बारानी, 0.0770 है0 गैर मु0 रास्ता) प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है जो प्रतिवादी प्रहलाद को अपने पिता मनीराम से विरासतन प्राप्त हुई है। मनीराम के देहान्त होने के उपरान्त उक्त वादभूमि तन्हा प्रतिवादी संख्या 1 को महज कर्ता खानदान होने के चलते प्राप्त हुई है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की आवश्यकता नहीं है अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.02 11:23:38 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में राजवीर पुत्र प्रहलाद जाति खाती निवासी भिरानी तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 723/178 संवत 2074–77 प्रदर्श 1, जमाबंदी संवत 2033 खाता संख्या 277/236 प्रदर्श 2, खतौनी बंदोबस्त संवत 2029–38 खाता संख्या 236 प्रदर्श 3, शपथ पत्र राजवीर बाबत वारिस प्रदर्श 4, शपथ पत्र प्रहलाद बाबत वारीस प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी की किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा भिरानी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र अनुसूची 1 से 5 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा भिरानी के जमाबंदी संवत 2074–2077 में खाता संख्या 723/178 के मु0नं0 34 के कि0नं0 21 ता 25, मु0नं0 35 के कि0नं0 23 ता 25, मु0नं0 63 के कि0न0 3 ता 5, मु0नं0 64 के कि0नं0 1 ता 8, 13 ता 17, मु0नं0 463 के कि0नं0 10, 11, 12/1, 13/2, 13/4, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, मु0नं0 464 के कि0नं0 6 ता 8, 13 ता 15 कुल किता 43 की 9.4860 है0 (9.4090 है0 बारानी, 0.0770 है0 गैर मु0 रास्ता) प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलाद के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 प्रहलाद अकेले की बजाय वादी को 4/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 को 4/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 को 4/15 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 4 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 तथा 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर दिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर साबित होने पर स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भिरानी के जमाबंदी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 723/178 के मु0नं0 34 के कि0नं0 21 ता 25, मु0नं0 35 के कि0नं0 23 ता 25, मु0नं0 63 के कि0न0 3 ता 5, मु0नं0 64 के कि0नं0 1 ता 8, 13 ता 17, मु0नं0 463 के कि0नं0 10, 11, 12/1, 13/2, 13/4, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, मु0नं0 464 के कि0नं0 6 ता 8, 13 ता 15 कुल किता 43 की 9.4860 है0 (9.4090 है0 बारानी, 0.0770 है0 गैर मु0 रास्ता) प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलाद के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 प्रहलाद अकेले की बजाय वादी राजवीर को 4/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलाद को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 जयबीर खाती को 4/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 जसवंत सिंह को 4/15 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 4 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 तथा 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.02 11:23:38 IST
Reason: SelfAttested

(निधि उड़सरिया) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक भादरा